न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह जिला टोंक (राज०)

मिसल नम्बर 25/2017

तारीख पेशी 24.07.2017

<u>इजलास</u>

1. तेजपाल | पि० लादू जाति जाकड़ निवासी रामसिंहपुरा तहसील
2. कालू | टोडारायसिंह जिला टोंक (राज०)
3. रामू |

— प्रार्थीगण —

<u>बनाम</u>

1. कजोड़ पुत्र कल्याण
2. गणेश | पि० बजरंगा | जाति जाकड़ निवासी रामसिंहपुरा तहसील
3. सत्यनारायण | | टोडारायसिंह हाल निवासी बकाया [illegible] तहसील मसूदा जिला अजमेर (राज०)
4. छूरी बेवा गुल्ला जाति जाकड़ निवासी रामसिंहपुरा तह० टोडारायसिंह [illegible]
4(1) नर्बदा | पुत्रियां छूरी जाति जाकड़ निवासी रामसिंहपुरा तहसील
4(2) देव | टोडारायसिंह जिला टोंक (राज०)
4(3) कजोड़ी |
4(4) कैलाशी |
5. सीमा पत्नी रतनलाल जाति जाकड़ | निवासी रामसिंहपुरा तहसील
6. रतनलाल पुत्र सुखलाल जाति जाकड़ | टोडारायसिंह जिला टोंक (राज०)
7. शाखा प्रबन्धक महोदय, भारतीय स्टेट बैंक शाखा [illegible] तहसील केकड़ी
8. तहसीलदार, तहसील टोडारायसिंह (टोंक)

— अप्रार्थीगण —

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

—x—

<u>आदेश</u> दिनांक <u>19/12/2019</u>

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण का मुख्य रूप से कथन है कि ग्राम रामसिंहपुरा तहसील टोडारायसिंह पर्चा खतौनी संख्या 22 सम्बत 1999 – 2008 को आ० ख० नं० $\frac{30}{0:17}$, $\frac{32}{11:05}$, $\frac{35}{3:11}$, $\frac{81}{1:19}$, $\frac{83}{2:10}$, $\frac{156}{1:06}$, $\frac{157}{0:05}$, $\frac{165}{2:09}$, $\frac{166}{0:03}$, $\frac{167}{1:01}$, $\frac{168}{2:18}$, $\frac{179}{0:04}$, $\frac{180}{0:05}$, $\frac{181}{2:07}$, $\frac{182}{2:04}$, $\frac{183}{0:02}$, $\frac{184}{0:03}$, $\frac{213}{0:12}$, $\frac{214}{0:03}$, $\frac{227}{12:10}$, $\frac{230}{9:16}$, $\frac{231}{1:04}$, $\frac{254}{4:07}$, $\frac{255}{0:03}$, $\frac{268}{2:08}$, $\frac{286}{1:03}$, $\frac{414}{2:03}$, $\frac{419}{3:15}$, $\frac{420}{2:02}$, $\frac{259/2}{6:15}$, $\frac{259/3}{4:15}$, $\frac{259/4}{3:10}$ कुल किता 32 रकबा 99:15 बीघा वाके ग्राम रामसिंहपुरा तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक जो प्रार्थीगण व अप्रार्थी नं. 1 ता 4 के पूर्वज गोपाल पुत्र भगता के समय से पक्षकारान की पैतृक व मौरूसी संयुक्त हिन्दू परिवार की है जिसके हाल सेटलमेन्ट संवत 2050 में नये खसरा नम्बर बनाये गये जो परि० (ब) ख. नं. $\frac{176}{0.22}$, $\frac{177}{0.12}$, $\frac{206}{0.06}$, $\frac{218/587}{0.01}$, $\frac{219/588}{0.04}$, $\frac{225}{0.03}$, $\frac{231}{0.39}$, $\frac{232}{0.96}$, $\frac{263}{1.07}$, $\frac{277}{0.76}$, $\frac{278}{0.38}$ कुल किता 11 रकबा 4.04 हे०, परि० (स) ख. नं. $\frac{35}{0.22}$, $\frac{42}{0.75}$, $\frac{43}{0.09}$, $\frac{44}{0.06}$, $\frac{118}{0.07}$, $\frac{119}{0.53}$, $\frac{122}{0.03}$, $\frac{219}{0.06}$, $\frac{220}{0.56}$, $\frac{325/584}{0.27}$, $\frac{261}{0.25}$, $\frac{262}{0.33}$, $\frac{264}{1.00}$, $\frac{338}{0.90}$, $\frac{455}{0.30}$, $\frac{456}{0.90}$ किता 16 रकबा 6.32 हे०

परिशिष्ट (द) ख.नं. 105/0.46, 116/0.03, 265/0.36, 435/0.45, 445/0.61, 446/0.65, 456/617/0.89 कुल किता 7 रकबा 3.39 हे०, परि० (य) ख.नं. 31/1.45, 32/1.39, 262/682/0.53 कुल किता 3 रकबा 3.37 हे०, परि० (र) ख.नं. 221/0.14, 222/0.45, 225/589/0.04, 236/0.05, 265/600/0.24, 266/2.24 कुल किता 6 रकबा 3.16 हे० वाके ग्राम रामसिंहपुरा बने है। पक्षकारान के पूर्वज गोपाल के तीन लड़के सुखदेव, कल्याण, सूरजमल पैदा हुए। सुखदेव के भोजी हुआ जो कि रामसिंहपुरा की सम्पूर्ण जमीन प्रार्थीगण को बेचान कर गया व सोलनपुरा तह० सरवाड़ चला गया। कल्याण के मूल्या, बजरंगा, कजोड़ हुए। मूल्या की बेवा छुरी, बजरंगा के गणेश व लक्ष्मीनारायण हुए। सूरजमल के वारिसान कमला, लादू, सांवा, पांची, बदरी, छोटी हुए। लादू के वारिसान तेजपाल, कालू, राजू, गायत्री, बरदी है। परिशिष्ट (अ) की आराजीयात में प्रार्थीगण का 1/3 हि० था एवं 1/3 हि० के खातेदार भोजी ने उसके खातेदारी में दर्ज आराजी प्रार्थी कालू व तेजपाल को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दिया क्योंकि भोजी ग्राम सोलनपुरा तह० सरवाड़ जिला अजमेर में रहता था जहां उसकी मृत्यु के बाद उसके वारिसान रहते हैं। व कल्याण के वारिसान मूल्या, कजोड़, बजरंगा, ने उनके खातेदारी में दर्ज आराजीयात में से लगभग साढ़े तेरह बीघा जमीन प्रार्थीगण को बेचान कर दी जिसकी रजिस्ट्री प्रार्थी राजू के नाम कराई थी। पूर्व में पक्षकारान के मध्य बंटवारा अप्रार्थी कजोड़ के पिता कल्याण ने अपनी मन-मर्जी से मौके पर हो रखे। आपसी सहमति के बंटवारे के विपरीत करा लिया। क्योंकि परिशिष्ट (अ) में से 35:01 बीघा अपने नाम स्वयं के नाम करा ली जबकि उसके हिस्से के मुताबिक कल्याण के हिस्से में 29:11 बीघा के लगभग आती थी कल्याण ने अपने हिस्से में करीब 5:10 बीघा अधिक लगवा ली। इसके अलावा सुखदेव, कल्याण, सूरजमल जब अलग 2 हुए एवं आपसी सहमति से मौके पर जो बंटवारा किया उसके विपरीत कल्याण ने राजस्व अधिकारियों से साज करके प्रार्थीगण बाबा सूरजमल के कब्जे में चली आ रही सालिके आ.ज.नं. 156/1.06, 165/2.09, 168/2.18, 254/5.07, 255/0.07, 152/0.05, 183/0.02 को अप्रार्थीगण के पिता-दादा कल्याण ने अपने नाम से गलत ढंग से दर्ज करवा लिया जिसे हाल ख.नं. 232/0.96, 176/0.22, 177/0.12, 277/0.76, 278/0.38, 225/0.03, 206/0.06 बने हैं। अप्रार्थी कजोड़ के भाई मूल्या के कोई लड़का नहीं होने की वजह से मूल्या के स्वर्गवास के बाद उसकी बेवा छुरी ने अपने लड़की के पुत्र रतनलाल को अपनी सेवा सुश्रुषा के लिए अपने पास लेकर आई। मूल्या के वारिसान अप्रार्थी छुरी व उसकी लड़कियों ने परि० (ब) में दर्ज 1/4 हि० की आराजी का विक्रयपत्र अप्रार्थी रतनलाल की औरत अप्रार्थीया सीमा के नाम तस्दीक करवा दी जबकि मौके पर पक्षकारान के दस्तानुसार अपने बुजुर्गों के समय से मौके पर हो रखे बंटवारे के अनुसार काबिज हैं और आराजी

इसी अनुसार काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण ने मौके के अनुरूप खातेदारी दुरुस्त करवाने के लिए अप्रार्थी नं. 1, व अप्रार्थी नं. 2 व 3 के पिता बजरंगा ने अप्रार्थी इसी को कहते रहे किन्तु वे लोग टालमटोल करते रहे और इसी दौरान दि० 16/5/2008 को प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य आपसी सहमति से 100/- रुपये के स्टाम्प पर एक इकरारनामा इस आशय का लिखा गया कि ग्राम रामसिंहपुरा की आराजियात में कब्जे के अनुसार संबंधित कब्जाधारी के नाम लगाया जावे। लेकिन आज तक नहीं लगाया। अलावा वर्ष सम्वत् 2050-69 खतौनी सं. 56 में दर्ज आराजियात में से आ. ख. नं. 31/1.45, 32/1.39, 262/682 / 0.53 कुल 3 रकबा 3.37 है० अप्रार्थीगण मजोड़ व उसके दोनों भाइयों मुल्या व बजरंगा ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्रार्थी राजू को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया व ख. नंबर 462/0.72, 463/0.53, 464/0.24 कुल किता 3 रकबा 1.49 है० बीसलपुर परियोजना द्वारा अवाप्त कर ली गई थी शेष बची आराजी किता 11 रकबा 4.04 है० का विवरण परि०(अ) में अंकित है अप्रार्थी पुत्र सुखदेवा का नाम जो खतौनी सं. 100 सम्वत् 2037-40 में दर्ज है, को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रार्थीगण तेजपाल व कालूराम को बैनामा कर ग्राम हीरापुरा (सरवाड़) में चला गया आज आराजी मुतनाजा में अप्रार्थी व उसके वारिसान का हित निहित नहीं होने के कारण उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है। दि० 15.9.2012 को प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को कब्जे अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करवाने के लिए कहा तो अप्रार्थीगण ने मना कर दिया और धमकी दी कि हमारे नाम दर्ज आराजी को किसी अन्य तीसरे व्यक्ति को बैनामा करेंगे व तुम्हें जबरन बेदखल करेंगे। इसलिए यह प्रा० पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। अगर दौराने दावा अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो उनकी उपरोक्त बेजा हरकतों से प्रार्थीगण को अपूरणीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी रूप में संभव नहीं हो सकेगी। इसलिए अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वे अ.ख.नं. 176/0.22, 177/0.12, 232/0.96, 277/0.76, 278/0.38, 225/0.03, 206/0.06 वाके ग्राम रामसिंहपुरा तह० टोडारायसिंह में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार से बेजा मजाहमत नहीं करें। आराजी को अन्तरण बैनामा नहीं करें। राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति कायम रखी जावे।

अप्रार्थीगण ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र गलत तथ्य अंकित कर पेश किया है। भू-प्रबन्ध विभाग, व राज्य सरकार को पक्षकार नहीं बनाया है। पारिवारिक बंटवारा प्रार्थीगण ने पेश किया है उसमें गायत्री पुत्री लादू व बरजी पत्नी लादू को पक्षकार नहीं बनाया है। कल्याण के नाम जो जमीन लगी है वह नहीं लगी है तीनों भाइयों ने मिल कर

राजी खुशी से बंटवारा किया है और राजस्व रिकार्ड में जो इन्द्राज तीनों भाईयों के हुआ है वह सही हुआ है तत्कालीन समय में सर व उसर जमीन के हिसाब से बंटवारा किया गया था अब प्रार्थीगण के मन में बेईमानी आ गयी है। परि० (ब) में दर्ज हिस्सा 1/4 की जमीन प्रतिपक्षी सीमा ने खरीद की है और 3/4 हि० की जमीन रतन ने खरीद की थी जिन पर वे काबिज थी इस संबंध में प्रार्थीगण कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण के पक्ष में न तो प्रथम दृष्टया केस थी एवं नांही सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के हक में ही अत: प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में प्रा०पत्र O.26 R.9 CPC लगाने पर मौके की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट वादग्रस्त आराजियात बाबत मंगवाई गयी।

प्रार्थीगण ने प्रा० पत्र के समर्थन में फोटो प्रति नकल रजि० चकबंदी सम्वत् 1999-2008, सम्वत् 2021 से 24 की जमाबंदी, नकल जमाबंदी सम्वत् 2067-70 की खतौनी नं: 144, 41, 40, 82, 13, जमाबंदी सम्वत् 2037-40 खतौनी नं: 97, 100, 9, मिलान हैसियत, फोटो प्रति इकरारनामा, फोटो प्रति हक परित्याग गायत्री, बरजी, पांची, बड़ी, कमला, छोटी बहक तेजपाल, कालू, राजू, शपथ पत्र तेजपाल, रोडू, बजरंगा, रामलाल, बड़ी, हरनाथ, कजोड़, सीताराम, बजरंगा, फोटो प्रति नक्शा ट्रेस, फोटो प्रति विक्रय पत्र भूरी, नर्बदा, कजोड़ी, देव, कैलाशी बहक सीमा व फोटो प्रति विक्रय पत्र गणेश, सत्यनारायण पि० बजरंगा बहक रतनलाल, फोटो प्रति विक्रय पत्र दि० 12.7.12 कजोड़ S/० कल्याण बहक गणेश बजरंग पेश किये।

बहस अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गयी। जो मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र एवं जवाब के अनुसार रही।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। वादग्रस्त आराजी मुताबिक राजस्व रिकार्ड खतौनी संख्या 144 जमाबंदी सम्वत् 2067 से 2070 वाके ग्राम रामसिंहपुरा तहसील टोडारायसिंह के सीमा पत्नी रतनलाल जाति धाकड़ निवासी रामसिंहपुरा जो कि अप्रार्थीया नं: 5 हैं के नाम हिस्सा 1/4 जो कि उसके द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13.04.2009 के द्वारा पूर्व खातेदार विक्रेता भूरी बेवा मूलया, नर्बदा, कजोड़ी, देव, कैलाशी पुत्रियां मूलया से खरीदशुदा थी वह वादग्रस्त आराजी में 1/4 हिस्से की खातेदार है। तथा 3/8 हिस्सा कजोड़ पुत्र कल्याण के नाम खातेदारी में दर्ज हैं एवं शेष 3/8 हिस्सा गणेश सत्यनारायण पि० बजरंगा के नाम दर्ज है। जो कि अप्रार्थी नं: 1 ल० 3 है। अप्रार्थी नं: 1 कजोड़ पुत्र कल्याण धाकड़ नि० रामसिंहपुरा द्वारा उसके हिस्से 3/8 की आराजीयात जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दि० 12/7/2012 से अप्रार्थी नं: 2, 3 गणेश, सत्यनारायण पि० बजरंगा धाकड़ निवासी रामसिंहपुरा हाल नि० अजगरा तहसील सरवाड़ (अजमेर) को विक्रय कर दिया। इस प्रकार अप्रार्थी नं: 2, 3 का वादग्रस्त आराजी में 3/4 हिस्सा हो जाने पर उन्होंने अपने हि० 3/4 की आराजियात का बैनामा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दि० 17/9/2012 से क्रेता रतनलाल पुत्र सुखलाल जाति धाकड़ निवासी रामसिंहपुरा तहसील

टोडारायसिंह को कर दिया। वादग्रस्त आराजियात अन्य आराजियात के साथ मुताबिक चकबंदी रजिस्टर सम्वत् 1999 से 2008 वाके ग्राम रामसिंहपुरा गोपाल वल्द भगता जाति धाकड़ के नाम दर्ज होना जाहिर है। जो मुताबिक खतौनी नं. 84 जमाबंदी संवत् 2021 से 2024 के अनुसार सुखदेवा 1/3 सूरजमल 1/3 कल्याण 1/3 पि० गोपाल कौम धाकड़ के नाम दर्ज रिकार्ड है। अर्थात् गोपाल के फौत होने पर विरासत में तीनों भाईयों के नाम दर्ज हुई थी इसके बाद तीनों भाईयों द्वारा आपसी सहमति से सर-जमर जमीन को ध्यान में रखते हुए बंटवारा किया जाना जाहिर है। बंटवारे में तीनों भाईयों के खातों में अलग 2 आराजियात का आना जाहिर है। जिसमें अन्य आराजियात के साथ वादग्रस्त आराजियात कल्याण पुत्र गोपाल के हक हिस्से में आया जाना जमाबंदी सम्वत् 2037-40 खाता सं. 9 से जाहिर है। कल्याण के फौत होने पर विरासत में मूल्या कजोड़ बजरंगा पि० कल्याण एवं भूरी बेवा कल्याण के नाम आराजीयात खातेदारी में आई जो जरिये नाम० सं. 21 दि० 28/5/1992 से मूल्या कजोड़ बजरंगा पि० कल्याण के नाम दर्ज हुई। प्रार्थीगण द्वारा जो शजरा बताया गया है उसके अनुसार भी सभी को पक्षकार बनाया जाना था लेकिन उनके द्वारा गायत्री पुत्री लादू व बरफी पत्नी लादू को पक्षकार नहीं बनाया है जबकि वे भी आवश्यक पक्षकार है। अप्रार्थीगण जो कि वादग्रस्त आराजियात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थी नम्बर 6 एक सद्भावी क्रेता है जिनके विरुद्ध कानूनन अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अप्रार्थीगण नं. 1 ता 5 जो कि रिकार्डेड खातेदार है उन्हें उनकी आराजीयात को विक्रय करने, उपयोग उपभोग से नहीं रोका जा सकता है इस प्रकार अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। सद्भावी क्रेता है के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने की सूरत में उन्हें नाकाबिले तलाफी नुकसान होना जाहिर है प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में होना साबित है उपरोक्तानुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण चलने योग्य नहीं है

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण चलने योग्य नहीं होने के फलस्वरूप खारिज किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा एक पक्षीय आदेश दिनांक 24/9/2012 को भी निरस्त किया जाता है। तहसीलदार टोडारायसिंह को नकल जारी हो

आदेश आज दिनांक 19.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

([illegible] नेगी)

उपखण्ड अधिकारी

टोडारायसिंह